संख्याः /XI /05/56(26)/2003

प्रेषक,

पी0 के0महान्ति
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 13 फरवरी ,2007

**विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 890/XI/05/56(26)/2003 दिनांक 2 अगस्त, 2006 के क्रम में एवं आपके पत्रांक संख्या 24/पी01–05/पी0एम0 जी0एस0 वाई0/06–07 दिनांक 8 जनवरी 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश स्वीकृत मार्गों के समरेखण में आ रही वन भूमि हस्तान्तरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0एवं अन्य प्रतिकर भुगतान किये जाने आदि मदों हेतु रूपये 16,40,00,000.00( रूपये सोलह करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनों हेतु ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है. किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब पूर्व में आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया हो । धनराशि का आहरण कर यू.आर.आर.डी.ए.ग्राम्य विकास उत्तरांचल देहरादून को हस्तान्तरित की जायेगी।

3. उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा व्यय शासन द्वारा अनुमोदित लागत सीमा के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. उक्त धनराशि व्यय करते समय योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी/ जारी होने वाले दिशा–निदेर्शो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों / आदेशों का तथा योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी / जारी होने वाले दिशा–निदेर्शो तथा मितव्ययता सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जाये।

6. उक्त कार्य को इसी लागत में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये यदि विलम्ब के कारण इसकी लागत में कोई वृद्वि होती है तो पुनरीक्षित लागत को अपने निजी श्रोतों से प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

7. उक्त धनराशि का आहरण करने से पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाये।

क्रमश.....2

8– योजना में अनुसूचित जाति एवं जन जाति हेतु दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों हेतु कराये जा रहे कार्यों पर किया जाय ।

9. उपरोक्त प्रस्तर–2 से 10 तक के दिशा–निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जायें ।

10. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2007 तक शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय तथा उपभोग प्रमाण–पत्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाये ।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का कार्यवार विभाजन आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के गाईड लाईन के अनुसार किया जायेगा।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–102–सामुदायिक विकास– आयोजनागत–03–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान–00–24–वृहत् निर्माण कार्य से रू0 13,67,00,000.00 तथा अनुदान संख्या –30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय–00–102–सामुदायिक विकास–आयोजनागत–02 –अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –01–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान –24–वृहत निर्माण कार्य से रू0 2,73,00,000 मात्र वहन करते हुए सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–882/ वि.अनु.–4/2006 दिनांक 06 फरवरी 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

( पी0 के0महान्ति)
सचिव।

संख्याः 17 (1)/XI/06/56(26)/2003 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित संलग्नक की प्रति सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून।
2–आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी ।
5–अधीक्षण अभियन्ता, यू0आई0आर0डी0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून।
6–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7–निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून ।
8–संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली ।
9–निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
10–नियोजन विभाग ।
11–वित्त (व्यय नियत्रंण )अनुभाग–4
12–बजट राजकोषीय नियाजन एवं संशाधन सचिवालय ।
13–गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव